बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संoसंo–लoसिoमोo–प्र०-3/भा.प्र.से. (निधि)-77/2019-1428 (मं०) पटना, दिनांक– 08/7/2020

प्रेषक,

श्री गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संत कुमार सिंह,
कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, हाजीपुर।

विषयः– **नवादा प्रमंडल अंतर्गत "धमौल आहर पईन योजना" के कराये गये कार्यो की आवंटन अधियाचना के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आपके द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा में पदस्थापन की अवधि में धमौल आहर पईन योजना के कार्यो के विरूद्ध भुगतान के लिए अपने पत्रांक–1235, दिनांक–21.09.2016 के द्वारा 63.434 लाख रू० की अधियाचना की गई थी। उसी कार्य के लिए वर्तमान कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा के पत्रांक–788, दिनांक–10.05.2019 द्वारा 17.135 लाख रूपये आवंटन की अधियाचना की गई है। चूंकि कार्य 2015–16 में ही पूर्ण हो गया था, इसलिए कराए गए कार्य के विरूद्ध आवंटन की अधियाचना, वास्तविक कार्य के बराबर एवं मापी पुस्त में प्रविष्टि के आधार पर ही करनी चाहिए थी। किन्तु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा कराये गये कार्य से ज्यादा की अधियाचना की गयी।

आपकी अधियाचना से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आपने कराये गये कार्य की प्रविष्टि मापी पुस्त में दर्ज कराये बिना ही मनमाने ढंग से अधियाचना की।

अतः अपना स्पष्टीकरण दें कि कराये गये कार्य से ज्यादा राशि की अधियाचना करने के लिए क्यों नहीं आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

08/07/2020

विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

D:\GEET-2020\JULY\LETTER-07.07.20 SPL.SEC.DOC